e-affice No. 544603/19/CF

REMINDER

### ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (VIGILANCE CELL)

No.F.1/Immov.Prop./92-Vig.

### MEMORANDUM \*\*\*\*\*\*

Subject:-Submission of Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2018 (as on 01/01/2019) by all Group 'A' & 'B' Officers of the Institute - regarding.

The undersigned is directed to refer to this office Memorandum of even number dated 01/01/2019 on the subject cited above and to say that it has been observed that number of Group 'A' & 'B' Officers of the Institute have not submitted their APRs for the year 2018 (as on 01/01/2019) by 31/01/2019.

It is pertinent to inform that the DOPT has issued instructions vide their OM No. 11012/11/2007-Estt.A dated 27th September, 2011 that "Vigilance Clearance shall be denied to an officer if he fails to submit his annual immovable property return of the previous year by 31st January of the following year, as required under Government of India decisions under Rule 18 of the Central Civil Services (Conduct) Rule, 1964.

In view of above, All Chief of Centers/Head of the Departments/Units/Sections are requested to kindly ensure that all Group 'A' & B' Officers working under them should submit their return (APR) within 10 days from the date of this memorandum.

Administrative Officer (Vigilance)

### **DISTRIBUTION:-**

- 1. The Chief of all Centers
- 2. Dean (Academic) and (Examination)
- 3. Medical Superintendent
- 4. Head of the Departments/Units/Sections
- 5. Sr. Financial Adviser
- 6. Superintending Engineer
- 7. Chief Admn. Officer
- 8. Stores Officer

Copy for information to:- P.S. to Director/DD(A) P.S. to Dean/M.S.

CC:- Prof-Incharge Computer Facility, AIIMS - with the request to place this memorandum on the website of the

Mr. Panna Kumas Stator.

# अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सतर्कता प्रकोष्ठ)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29. दिनांक:

फा.सं.1/अचल संपत्ति/92-सतर्कता

#### ज्ञापन

विषय: संस्थान के समूह 'क' एवं 'ख' के सभी अधिकारीगण द्वारा वर्ष 2018 (दिनांक 01.01.2019 के अनुसार) हेतु वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (एआईपीआर) जमा करने संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषयक दिनांक 01.01.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि यह पाया गया है कि संस्थान के समूह 'क' एवं 'ख' के कई अधिकारीगण ने वर्ष 2018 हेतु उनकी एपीआर दिनांक (01.01.2019 के अनुसार) दिनांक 31.01.2019 तक जमा नहीं की है।

यह सूचित करना उपयुक्त होगा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2011 के का.जा.सं. 11012/11/2017-स्था.ए द्वारा निदेश जारी किए गए हैं कि "केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के अंतर्गत भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार पिछले वर्ष की अचल संपत्ति का विवरण अनुवर्ती वर्ष की 31 जनवरी तक जमा न कराने वाले अधिकारीगण को सतर्कता अनापत्ति (विजीतेंस क्लियरेंस) नहीं दी जाएगी।"

उपर्युक्त को विचार में लेते हुए, सभी केंद्र प्रमुख/विभागाध्यक्ष/एकक/अनुभाग के अध्यक्षगण से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' के सभी अधिकारीगण इस ज्ञापन की तारीख से 10 दिनों के अंदर अपनी विवरणी (एपीआर) जमा करवा दें।

प्रशासनिक अधिकारी (सतर्कता)

## वितरण:-

- 1. सभी केन्द्र प्रमुखगण
- 2. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं (परीक्षा)
- 3. चिकित्सा अधीक्षक
- 4. सभी विभाग/एकक/अन्भाग अध्यक्षगण
- 5. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
- 6. अधीक्षण अभियंता
- 7. म्ख्य प्रशासनिक अधिकारी
- 8. भंडार अधिकारी

प्रतिलिपि: सूचनार्थ:- निदेशक/उप-निदेशक(प्रशा.) महोदय के निजी सचिव संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव

- प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा, एम्स - कृपया इस ज्ञापन को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की प्राप्त किया / RECEIVED कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility , कृपा करें।

